समक्ष - जे.एस. सेखों जे.

वीर भान - याचिकाकर्ता

बनाम

सुरजन सिंह - प्रतिवादी

नागरिक संशोधन क्रमांक 505 ऑफ़ 1980

19 दिसंबर 1988

सिविल प्रक्रिया संहिता (V ऑफ़ 1908)– आदेश 38 नियम 5 और आदेश 39, नियम 2ए– धन की वसूली के लिए मुकदमा–फैसले से पहले कुर्की के लिए आवेदन–अदालत द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करना–प्रतिवादियों द्वारा जानबूझकर अवज्ञा–ऐसी अवज्ञा के लिए प्रतिवादी को दंडित करने के लिए आवेदन–ऐसे आवेदन की पोषणीयता।

अभिनिर्णित - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 38, नियम 5 के प्रावधानों के तहत एक आवेदन पर कुछ धन की वसूली के लिए एक मुकदमे में सिविल कोर्ट या तो प्रतिवादी की संपत्ति को डिक्री की राशि के अनुपात में कुर्क कर सकता था या अंततः पारित होने वाले डिक्री के अनुपालन के लिए अपेक्षित सुरक्षा प्राप्त की, लेकिन यह अजीब बात है कि ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी को अपने से अलग होने से रोकने के लिए संहिता के आदेश 38 के नियम 5 के उप-नियम (4) के अनिवार्य प्रावधानों के खिलाफ चला गया है। संपत्ति। ट्रायल कोर्ट का आदेश शुरू से ही अमान्य है, इसका जानबूझकर उल्लंघन कोर्ट की अवमानना नहीं माना जाएगा।

(पैरा 4,5)

श्री आर. डी. अनेजा, एचसीएस, वरिष्ठ उप न्यायाधीश, करनाल की अदालत के आदेश, दिनांक 10 दिसंबर, 1979 के संशोधन के लिए हरियाणा में लागू पंजाब न्यायालय अधिनियम की अद्यतन धारा 44 के तहत याचिका, बिना लागत के रूप में किसी आदेश के याचिका को खारिज कर दिया गया।

याचिकाकर्ता के वकील एस.के.गोयल।

निमो, उत्तरदाताओं के लिए।

निर्णय

जय सिंह सेखों, जे.

(1) यह सिविल पुनरीक्षण वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश के 10 दिसंबर 1979 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है। करनाल, बंधक का आरोप बनाकर ट्रायल कोर्ट के निषेधाज्ञा आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 के नियम 2-ए के प्रावधानों के तहत प्रतिवादी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया। गांव कलाल माजरा में स्थित उनकी कृषि भूमि पर।

(2) संक्षेप में, तथ्य यह है कि वीर भान वादी-याचिकाकर्ता ने रुपये की वसूली के लिए एस.आई.आई.टी. दायर की। 29 अगस्त, 1972 को प्रतिवादी-प्रतिवादी के खिलाफ 8160।

उन्होंने फैसले से पहले प्रतिवादी की संपत्ति की कुर्की के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 38 नियम 5 के तहत एक आवेदन भी दायर किया। वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, करनाल ने अपने दिनांक 30 अगस्त के आदेश द्वारा। 1972 ने प्रतिवादी को 3 नवंबर, 1972 के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया और इस बीच प्रतिवादी को अचल संपत्ति को हस्तांतरित करने से रोकते हुए एक पक्षीय निषेधाज्ञा दी। प्रतिवादी ने आवेदन प्रस्तुत किया और कार्यवाही 4 दिसंबर, 1972 तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि, प्रतिवादी ने 12 जनवरी, 1973 और 17 जनवरी, 1973 को अपनी जमीन गिरवी रख दी। इसके बाद वादी ने आदेश 39 नियम 2-ए के तहत एक आवेदन दायर किया। निषेधाज्ञा आदेश की जानबूझकर अवज्ञा के लिए टायर प्रतिवादी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता। ट्राई कोर्ट ने 31 जनवरी, 1974 को वादी के मुकदमे का फैसला सुनाया, लेकिन इस आवेदन पर कोई आदेश पारित किए बिना। फिर, वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 2-ए के तहत उसके द्वारा पहले दायर किए गए आवेदन पर उचित कार्रवाई करने के लिए 25 मार्च, 1974 को एक आवेदन दायर किया। श्री बी.के. गुप्ता, अधीनस्थ न्यायाधीश तृतीय श्रेणी, करनाल, ने अपने आदेश दिनांक 16 अगस्त, 1977 द्वारा, दोनों पक्षों के नेतृत्व में साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद, प्रतिवादी-प्रतिवादियों को उपरोक्त संदर्भित आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने वाला माना और नागरिक कारावास की सजा सुनाई। तीन महीने। इस आदेश को विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कुरुक्षेत्र द्वारा रद्द कर दिया गया था और मामले

को वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, करनाल की अदालत में यह कहते हुए भेज दिया गया था कि श्री बी. एक्स. गुप्ता की अदालत को उक्त आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। अंततः, याचिकाकर्ता के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 38 नियम 5 के प्रावधानों के तहत, अदालत या तो प्रतिवादी को पारित डिक्री की संतुष्टि के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए कह सकती है या कुर्की कर सकती है। उसकी संपत्ति, लेकिन उक्त न्यायालय द्वारा ऐसा कोई रास्ता नहीं अपनाया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका लेकर आया है।

(3) प्रतिवादी सेवा के बावजूद उपस्थित होने में विफल रहा है और ऐसे में उसकी अनुपस्थिति में इस मामले को निपटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

(4) याचिकाकर्ता के वकील श्री एस. सिविल प्रक्रिया संहिता के 2-ए या न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत। मैं उनसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि प्रतिवादी को अपनी भूमि हस्तांतरित करने से रोकने का मूल आदेश आदेश 38 नियम 5 के प्रावधानों के तहत पारित नहीं किया जा सका। सिविल प्रक्रिया संहिता, जो केवल निर्णय से पहले संपत्ति की कुर्की या पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है। नियम 5 के उप-नियम (1) का खंड (बी) संपत्ति की कुर्की की सीमा को उस सीमा तक सीमित करता है जो डिक्री को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। उप-नियम (2) आगे प्रावधान करता है कि वादी को कुर्क की जाने

वाली आवश्यक संपत्ति और उसके अनुमानित मूल्य को निर्दिष्ट करना था, उप-नियम (3) आगे निर्देश देता है कि न्यायालय आदेश दे सकता है कि संपूर्ण या किसी हिस्से की सशर्त कुर्की की जाए। इस प्रकार निर्दिष्ट संपत्ति. उप-नियम (4) में आगे प्रावधान है कि यदि उप-नियम (1) के प्रावधानों के उल्लंघन में कुर्की की जाती है, तो वह शून्य हो जाएगी। इन परिस्थितियों में, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 38 नियम 5 के प्रावधानों के तहत एक आवेदन पर कुछ धन की वसूली के लिए एक मुकदमे में, सिविल कोर्ट या तो प्रतिवादी की संपत्ति को डिक्री की राशि के अनुपात में कुर्क कर सकता था या प्राप्त कर सकता था। अंततः पारित होने वाले डिक्री के अनुपालन के लिए एक अपेक्षित सुरक्षा, लेकिन यह अजीब बात है कि ट्रायल कोर्ट प्रतिवादी को रोकने में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 38 के नियम 5 के उप-नियम (4) के अनिवार्य प्रावधानों के खिलाफ गया है। उसकी संपत्ति को अलग करना।

(5) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ट्रायल कोर्ट का आदेश शून्य है, इसका जानबूझकर उल्लंघन न्यायालय की अवमानना नहीं होगा। इस प्रकार, इस याचिका में कोई योग्यता नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रितिज़ अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TRAINEE JUDICIAL OFFICER)

(हरियाणा)